न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2015/00075 (05/2015) **दायरा दिनांक : 02.01.2015**

उनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा, जिला झालावाड राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1. मनोहरलाल आत्मज जगन्नाथ, जाति कुल्मी, निवासी खेडा बोरदा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड
2. पृथ्वी आत्मज दुधा, जाति बलाई, निवासी ग्राम बोरदा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – पैरोकार सरकार श्री गिरिराज विजय
श्री राजेन्द्र रावल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 22.05.2026**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर, झालावाड के प्रकरण संख्या – 751/2000 निर्णय व डिक्री दिनांक 01.12.2001 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 मनोहरलाल ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 205, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि आराजी खसरा नं. 521 रकबा 9 बीघा वाके ग्राम बोरदा, तहसील पिडावा में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, झालावाड ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 01.12.2001 से वादी का वाद डिक्री किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि ग्राम बोरदा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड में खसरा नं. 521 रकबा 9 बीघा आराजी पृथ्वी पिता उदा, कोम बलाई, निवासी बोरदा के नाम खातेदारी में दर्ज थी। यह व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य है और इस व्यक्ति की आराजी को स्वर्ण जाति के रेस्पोडेंट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, झालावाड में अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वाद दायर कर उक्त आराजी को अपने नाम दर्ज करने हेतु दायर किया था जिसको

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री कर रेस्पोडेंट नं. 1 को खातेदार टीनेन्ट घोषित कर दिया जो नियम विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमों के विरूद्ध धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बाधित होने के बावजूद भी वाद डिक्री कर वादी रेस्पोडेंट नं. 1 को खातेदार टीनेन्ट घोषित कर दिया है जो भारी कानूनी भूल है। इसलिए निर्णय एवं डिक्री अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम बोरदा, तहसील पिडावा की आराजी खसरा नं. 521 रकबा 9 बीघा का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि में प्रतिवादी के स्थान पर वादी के खाते दर्ज हो प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाता है कि वह बेजामदाखलत मजाहमत नहीं करें। यह निर्णय एवं डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है इसलिए निर्णय एवं डिक्री अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को कतई ध्यान में नहीं रखते हुए उसके विपरीत जाकर यह निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, झालावाड द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.12.2001 को अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 16.07.2014 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि ग्राम बोरदा तहसील पिडावा में खसरा नं. 521 रकबा 9 बीघा आराजी परथा पिता उदा, कौम बलाई, निवासी बोरदा के नाम खातेदारी में दर्ज थी। खातेदार उदा अनुसूचित जाति का सदस्य है जिसके द्वारा आराजी को स्वर्ण जाति के सदस्य रेस्पोडेंट मनोहरलाल पुत्र जगन्नाथ, जाति कुल्मी को दिनांक 21.06.1974 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से बेचान कर दिया था। रेस्पोडेंट मनोहरलाल ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, झालावाड में अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् वाद दायर कर उक्त आराजी को अपने नाम दर्ज करने हेतु निवेदन किया था, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 01.12.2001 से रेस्पोडेंट मनोहरलाल को खातेदार टीनेन्ट घोषित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमों के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 को

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नजरअंदाज कर रेस्पोडेंट/वादी मनोहरलाल को खातेदार घोषित कर दिया जो भारी कानूनी भूल है।

रेस्पोडेंट नं. 2 परथा पुत्र उदा जाति बलाई विवादित भूमि का खातेदार था जो स्वयं अनुसूचित जाति का सदस्य था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की भूमि अनुसूचित जाति के अलावा अन्य किसी वर्ग को बेचान नहीं की जा सकती। प्रतिवादी परथा ने अनुसूचित जाति की भूमि का बेचान अन्य वर्ग (सवर्ण) में कर धारा 42 का उल्लंघन किया है। प्रतिवादी परथा ने विवादित भूमि का बेचान दिनांक 21.06.1974 को वादी मनोहरलाल का कर कब्जा उसकों संभला दिया जाने से प्रतिवादी प था को विवादित भूमि पर से समस्त अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाते है।

अनुसूचित जाति के सदस्य खातेदार के विरूद्ध प्रतिकूल कब्जे का तर्क भी लागू नहीं होता है। प्रतिवादी मनोहरलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दायर वाद में कहा गया है कि विवादित भूमि पर वादी तथा उससे पहले वादी के पिता जगन्नाथ तथा उससे पहले जगन्नाथ के पिता तेजराम के खाते कब्जे की आराजी थी तथा 1956 के पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा था जबकि वादी मनोहरलाल द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य, दस्तावेज पत्रावली में शामिल नहीं किया गया जिससे स्पष्ट हो कि विवादित भूमि पर वादी या उसके पूर्वजों का नाम खातेदारी में हो और न ही ऐसा रिकार्ड प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि पर कब्जा रहा हो।

पत्रावली में सलंग्न जमाबंदी सवंत 2052 से 2055, 2056 से 2059 व खसरा गिरदावरी सवंत 2028 से 2031, 2032 से 2035, 2052 से 2055, 2056 से 2059 में भी परथा पुत्र उदा जाति बलाई खातेदार दर्ज था।

प्रकरण में रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के उपबन्धों के अनुसरण में बेदखल कर केवल भूधारक राजस्थान सरकार को खातेदार घोषित किया जाना चाहिए। धारा 175 में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई अन्तरण इस अधिनियम के उपबंधों के विरूद्ध किया जाता है तो अन्तरक और अन्तरिती दोनों बेदखल के लिए दायी होंगे। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.12.2001 को अपास्त किया जाना न्यायोचित होगा।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। दौराने लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि यह कि रेस्पोन्डेन्ट नं. 1 मनोहरलाल के पिता जगन्नाथ और उनके पिता तेजराम ने रेस्पोन्डेन्ट नं. 2 परथा के पिता उदा से आज से करीब 80–90 साल पहले उनकी आराजी खसरा नं. 521 रकबा 9 बीघा से तादादी राशि 2,500/–रुपये में क्रय की थी और क्रय करने के समय से ही उदा जी ने उक्त आराजी का कब्जा रेस्पोन्डेन्ट के दादा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तेजराम को सम्भला दिया था। तब से ही उक्त आराजी पर उनका शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है अं र उसी दौरान उदा जी ने दिनांक 21.06.1974 को रेस्पोडेन्ट के पक्ष में रजिस्ट्री बयनाना भी तस्दीक करवा दिया था और उक्त रजिस्ट्री बयनामा के आधार पर रेस्पोडेन्ट को उक्त आराजी पर समस्त मालिकाना हक प्राप्त हो गये थे और तब से लेकर आज दिन तक रेस्पोडेन्ट ही उक्त आराजी पर शांतिपूर्वक काबिज है और खेती करता चला आ रहा है। उक्त आराजी को अपने नाम खाते दर्ज करवाने के लिये रेस्पोडेन्ट मनोहरलाल ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, झालावाड़ के यहां एक दावा पेश किया था। जिसमें रेस्पोडेन्ट नं. 2 परथा ने अपनी ओर से इकबालिया जवाब पेश कर उक्त आराजी को उनके नाम खाते दर्ज करने के लिये सहमति दर्ज करवाई थी। उन्हें परथा को रेस्पोडेन्ट के नाम जमीन खाते दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं थी और इसकी पुष्टि के लिये परथा ने अपनी ओर अधीनस्थ न्यायालय में एक शपथ पत्र भी पेश किया था और उक्त आराजी को रेस्पोडेन्ट मनोहरलाल के खाते दर्ज करने बाबत् उसकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं होने और खाते दर्ज किये जाने की सहमति जाहिर की थी। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट/वादी मनोहरलाल ने अपने दावे में उक्त आराजी को अपने खाते दर्ज करने के सम्बन्ध में उसकी पुष्टि हेतु एक नजीर (रूलिंग) आर.आर.डी. 1977 पेज नं. 179 छगन बनाम रतन अपील संख्या 271 निर्णय दिनांक 25.04.1977 रेवेन्यू बोर्ड सेमवरान पेश की थी। जिसमें भी यह दलील दी गई थी कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने के पूर्व यदि कोई स्वर्ण जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति के व्यक्ति से आराजी खरीद करता है और रजिस्ट्री बयनामा अपने पक्ष में तस्दीक करवा लेता है, तो उस रजिस्ट्री बयनामा के आधार पर उक्त आराजी स्वर्ण जाति के व्यक्ति के नाम खाते दर्ज की जा सकती है। उसमें टीनेन्सी एक्ट के नियम लागू नहीं होते हैं। अपीलान्ट/प्रतिवादी तहसीलदार पिड़ावा द्वारा अपनी लिखित बहस में यह आपत्ति दर्ज करवाई गई है कि रेस्पोडेन्ट मनोहरलाल ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का उल्लंघन किया है और अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नियम को नजर अंदाज कर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निर्णय पारित किया है। जबकि रेस्पोडेन्ट मनोहरलाल के पिता और दादा ने उक्त आराजी आज से करीब 80–90 साल पहले क्रय कर ली थी। उस समय उक्त आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू नहीं हुआ था और लागू नहीं होने की वजह से उसकी धारा 42 का उक्त प्रकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय बिल्कुल सही है। अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय को पारित करने में कोई भूल नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2001 को जो निर्णय पारित किया गया है, वह रेस्पोडेन्ट वादी मनोहरलाल की तरफ से पेश की किये गये दावे के तथ्यों तथा उसमें पेश किये गये दस्तावेजों एवं प्रतिवादी परथा की तरफ से पेश किये गये इकबालिया जवाब और उसकी तरफ से पेश किया गया सहमति का शपथ पत्र का अधीनस्थ न्यायालय ने बहुत ही गहनता से ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है और इस दावे को मजबूत घोषित करने के लिये नजीर (रूलिंग) आर.आर.डी. 1977 पेज

(दीप्ति सुमेधेन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नं. 479 छगन बनाम रतन अपील संख्या 271 निर्णय दिनांक 25.04.1977 रेवेन्यू बोर्ड सेमवरान की थी, उसका भी अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया है और सारे तथ्यों का बड़ी बारीकी से अवलोकन करने के पश्चात् ही अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट/वादी के पक्ष में वादी का दावा उसके पक्ष में डिक्री किया है, जो सोच–समझकर किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय को पारित करने में कोई भूल नहीं की है और न ही किसी प्रकार के नियमों का और राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 42 का उल्लंघन किया है। अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के उपबंधों के अनुसरण में बेदखल कर केवल भू–धारक राजस्थान सरकार को खातेदार घोषित किये जाने का जो निवेदन किया है, वह बिल्कुल गलत है। क्योंकि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है और राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने के पूर्व ही उक्त आराजी का बेचान हो जाने के कारण इस पर स्वर्ण जाति द्वारा अनुसूचित जाति की आराजी खरीदने के उल्लंघन होने का प्रावधान लागू नहीं होता है। अपीलान्ट तहसीलदार द्वारा महज रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को परेशान करने की गरज से सारहीन तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की गई है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने सारे तथ्यों को बारीकी से परख कर और बहुत ही सोच–समझकर सबूतों के आधार पर और पेश की गई दलील के आधार पर रेस्पोडेन्ट/वादी मनोहरलाल के पक्ष में दावा डिक्री किया है। जो सही है, खारिज होने योग्य नहीं है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट तहसीलदार पिडावा द्वारा सारहीन तथ्यों के आधार पर महज रेस्पोडेन्ट को परेशान करने की गरज से पेश की गई अपील को खारिज किये जाने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.12.2001 को यथावत रखे जाने और अपील को खारिज किये जाने का आदेश करने की कृपा करें।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 205 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् एक दावा इस आशय का पेश किया है कि ग्राम बोरदा, तहसील पिडावा की खसरा नं. 521 रकबा 9 बीघा आराजी वादी

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

एवं उसे पहले वादी के पिता जगन्नाथ तथा उससे पहले जगन्नाथ के पिता तेजराम के खाते कब्जे व काश्त की है। इस आराजी पर 50 सालों से अधिक समय से लगातार वादी का कब्जा मुखालफाना की परिभाषा में आता है, जिस कारण वादी उक्त आराजी को अपने खाते दर्ज करवाने, टीनेन्ट घोषित करवाने का पात्र है। दिनांक 21.06.1974 को प्रतिवादी नं. 1 ने वादी के हक में एक रजिस्ट्री बय–नामा तादादी 2500/– रूपये भी तस्दीक करवाया है, जिससे भी प्रतिवादी नं. 1 का वादग्रस्त आराजी पर अब कोई हक नहीं रहा है। प्रतिवादी नं. 2 द्वारा आज तक वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की कोई कार्यवाही नहीं की है और इसकी मियाद भी खत्म हो गयी है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। खाते से प्रतिवादी नं. 1 का नाम हटाया जाकर उसकी जगह वादी का नाम दर्ज किया जावे। वादी के पक्ष में प्रतिवादी नं. 1 के खिलाफ इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाये कि वह वादग्रस्त आराजी पर वादी के कब्जे में बेजा मदाखलत व मजाहतम नहीं करे और ना किसी अन्य से ऐसा करावे।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी नं. 1 ने दावे की मदों को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश कर दावा डिक्री करने व खाते बांधे जाने में प्रतिवादी नं. 1 को एतराज नहीं होना अंकित किया है तथा शपथ पत्र भी इस आशय का पेश किया कि मैंने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा वादी को जमीन बेचान कर कब्जा संभला दिया है, वादी का कब्जा ही इस जमीन पर चला आ रहा है, वाद डिक्री किये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय, सहायक कलेक्टर, झालावाड द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 01.12.2001 से वाद वादी डिक्री कर ग्राम बोरदा, तहसील पिडावा की आराजी खसरा नं. 521 रकबा 9 बीघा का वादी को खातेदार घोषित कर उक्त भूमि प्रतिवादी कम 1 के स्थान पर वादी के खाते दर्ज किये जाने का निर्णय पारित किया गया, इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट प्रतिवादी कम 2 सरकार जर्ये तहसीलदार पिडावा द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील प्रस्तुत की है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी संवत 2052–2055 प्रदर्श पी–6 के अनुसार ग्राम बोरदा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड की खाता सं. 53 खसरा नं. 521 रकबा 9 बीघा आराजी पृथ्वी पुत्र उदा, कोम बलाई की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श पी 3, पी 4 व पी 5 खसरा गिरदावरी (चतुरवर्षीय) ग्राम बोरदा संवत 2028 से 2031, संवत 2032 से 2035, संवत 2052 से 2055, संवत 2056 से 2059 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नं. 521 पर पृथ्वी पुत्र उदा प्रतिवादी रेस्पोडेंट कम 2 का कब्जा काश्त होना साबित होता है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.06.1974 के अनुसार

(दीपक रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

परथा पुत्र उदा, जाति बलाई ने अपने खाते की आराजी खसरा नं. 521 रकबा 9 बीघा का बेचान 2500/-- रूपये में वादी मनोहरलाल पुत्र जगन्नाथ, जाति कुल्मी को किया है। खातेदार प्रतिवादी कम 1 अनुसूचित जाति का सदस्य है एवं वादी सवर्ण वर्ग का सदस्य है। अतः प्रतिवादी रेस्पोडेंट कम 2 द्वारा वादी रेस्पोडेंट कम 1 के पक्ष में किया गया बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के विधिक प्रावधानों के अनुसार शून्य (Void) होने से इस बेचान के आधार पर वादी रेस्पोडेंट कम 1 को विवादित आराजी खसरा नं. 521 पर कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते। वादी रेस्पोडेंट कम 1 का प्रस्तुत वाद प: में यह कथन रहा है कि इस आराजी पर 50 सालों से अधिक समय से लगातार बिना किसी बाधा के वादी का कब्जा रहा है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से वादी रेस्पोडेंट कम 1 के उक्त कथन की पुष्टि नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के विधिक प्रावधानों के विरूद्ध होने से वादी रेस्पोडेंट कम 1 एवं प्रतिवादी रेस्पोडेंट कम 2 (विवादित भूमि का खातेदार) दोनों ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के तहत बेदखली के लिए उत्तरदायी है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 एवं 175 के विधिक प्रावधानों के विरूद्ध वादी रेस्पोडेंट कम 1 को विवादित आराजी का खातेदार घोषित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.12.2001 खारिज की जाती है। तहसीलदार पिडावा विवादित आराजी के सन्दर्भ में धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/05/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा, जिला झालावाड राजस्थान
.... **अपीलांट**

बनाम

1. मनोहरलाल आत्मज जगन्नाथ, जाति कुल्मी, निवासी खेडा बोरदा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड
2. पृथ्वी आत्मज दुधा, जाति बलाई, निवासी ग्राम बोरदा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड राजस्थान

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2015/00075 (05/2015)** एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **सहायक कलेक्टर, झालावाड़**
मु.द.नं0 **751/2000** निर्णय व डिक्री दिनांक – **01.12.2001**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **15 माह 05** सन् **2026**

पैरोकार सरकार श्री गिरिराज विजय अपीलांट की ओर से, **श्री राजेन्द्र रावल** अभिभाषक रेस्पोडेंट नं0 1 की ओर से, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.12.2001 खारिज की जाती है। तहसीलदार पिडावा विवादित आराजी के सन्दर्भ में धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **22 माह 05 सन् 2026** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)